

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच।

अति अल्पकालीन कोटेशन सूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय, उ०प्र० की ओर से जनपद-श्रावस्ती/बलरामपुर में राप्ती मुख्य नहर के किमी० ०.००० से किमी० ५०.००० तक एवं वितरण प्रणालियों के पक्के कार्यों हेतु निम्नानुसार सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु मूल निर्माताओं से दिनांक २७.०३.२०१७ को अपरान्ह ३.०० बजे तक मोहरबन्द कोटेशन अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच के कार्यालय में आमन्त्रित किए जाते हैं, जो दिनांक २७.०३.२०१७ को अपरान्ह ४.०० बजे अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच के कार्यालय में खोली जायेंगी। उक्त तिथि को अवकाश होने की स्थिति में कोटेशन अगले कार्य दिवस में उसी समय खोला जायेगा।

क्र० सं०	आपूर्ति का विवरण	अनुमानित मात्रा (बैग)	आपूर्ति पूर्ण होने की अवधि	अधिकृत श्रेणी
1	2	3	4	5
1	४३ ग्रेड ओ०पी०सी० सीमेन्ट की आपूर्ति का कार्य (Conforming IS.८११२-p१९८९) in HDPE Bag of ५० Kg.	०२लाख बैग	एक माह	मूल निर्माता कम्पनी

नियम व शर्त :-

- कोटेशन डालने का अधिकार ISO सर्टीफाइड मूल निर्माताओं को ही होगा तथा मूल निर्माताओं के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा दिया गया कोटेशन मान्य नहीं होगा।
- निर्माता कम्पनी को सीमेन्ट का टेस्ट सर्टीफिकेट कोटेशन के साथ जमा करना होगा।
- डैमेज/आंशिक सेट सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं ली जायेगी, यदि किसी दशा में साइट पर पहुँच जाती है या लैब में टेस्ट करने पर डैमेज/आंशिक सेट पायी जाती है तो फर्म को उक्त सीमेन्ट को अपने खर्च पर हटाना होगा।
- company shall have a valid cement manufacturing license.
- company must attach balance sheets of the previous three year for manufacturing.
- The company shall have VAT (TIN) and PAN number.
- The company shall have experience of more than three year of supply of cement.
- कम्पनी द्वारा दी जाने वाली दरों में सीमेन्ट का मूल्य, ट्रान्सपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग औरस्टैकिंग तथा अन्य समस्त देय कर शामिल होगा।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीमेन्ट की आपूर्ति आवश्यकतानुसार ली जायेगी एवं उपरोक्तांकित मात्राएं घट-बढ़ सकती हैं।
- सीमेन्ट की आपूर्ति निम्नलिखित स्थानों पर ली जानी प्रस्तावित है :-
क-राप्ती बैराज पर स्थित स्टोर जनपद-श्रावस्ती, (जनपद-बहराइच से दूरी लगभग-४९ किमी)
ख-गुलरा स्टोर जनपद-श्रावस्ती (जनपद-बहराइच से दूरी लगभग-७० किमी०)
ग-अमवा स्टोर जनपद-बलरामपुर (जनपद-बहराइच से दूरी लगभग-८५ किमी०)
घ-जोखवा स्टोर जनपद-श्रावस्ती (जनपद-बहराइच से दूरी लगभग-७० किमी०)
ड.-इमिलिया स्टोर, जनपद-बलरामपुर (जनपद-बहराइच से दूरी लगभग-११० किमी०)

(2)

11. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी कोटेशन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. कोटेशन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
13. कोटेशन में दी जाने वाली दर को शब्दों तथा अंको मे लिखना अनिवार्य होगा एवं अंको एवं शब्दों में दी गई दर मे अन्तर होने पर शब्दों में अंकित दर को ही स्वीकार किया जायेगा।
14. कोटेशन में किसी प्रकार संशोधन/ओवर राइटिंग होने पर कोटेशनदाता को उक्त स्थान पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
15. निर्धारित समय पर आपूर्ति न किये जाने पर 0.5 प्रतिशत Value of supply order की कटौती की जायेगी।
16. वांछित मानको से भिन्न यदि आपूर्ति की जाती है तो उसको स्वीकार नहीं किया जायेगा।
17. सीमेण्ट आपूर्ति अवधि में दरों में बढ़ोत्तरी मान्य नहीं होगी।
18. कोटेशन में दरे अंकित करने से पहले निर्माताओं को स्टोरों तथा दूरी का परीक्षण कर लेना चाहिये बाद में कोई दर/क्लेम मान्य नहीं होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
नवम् मण्डल सिंचाई कार्य
बहराइच